



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 07.04.2024 को मुखबिरकी सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 शराब तस्कर **अभियुक्त ताहिर पुत्र तालिम निवासी ग्राम बड़ा लापरा थाना सदर जिला यमुनानगर हरियाणा** को गुरुद्वारा यमुनानगर रोड़ शाहजहांपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0स0 93/24 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं अनपढ़ हूँ व नशा करने का आदि हूँ। मैं देशी शराब हरियाणा राज्य से सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं शराब बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

ताहिर पुत्र तालिम निवासी ग्राम बड़ा लापरा थाना सदर जिला यमुनानगर हरियाणा

बरामदगी का विवरण -

12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 2557 कृष्णा कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. कां0 1960 टेकचन्द थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा,सहारनपुर पुलिस द्वारा **छेड़छाड़ के 01 वांछित अभियुक्त** को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 01.04.2024 को वादी ने एक लिखित तहरीर बाबत वादी के घर मे घुसकर वादी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करना व शौर मचाने पर भाग जाना तथा अक्सर वादी की बहन का पीछा कर छेड़छाड़ करने का प्रयास करने के संबंध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 86/2024 धारा 452/354/354डी भादवि बनाम खालिद उर्फ खन्नू पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें के वांछित **अभियुक्त खालिद उर्फ खन्नू पुत्र अशरफ निवासी ग्राम कुन्डा थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को छप्पर वाली मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता-

खालिद उर्फ खन्नू पुत्र अशरफ निवासी ग्राम कुन्डा थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 राहुल शर्मा कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. हेका0 488 राजेश थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1997 विनीत थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 24 बोतल अवैध
देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं नशा तस्कर आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त इनाम पुत्र जफर निवासी ग्राम इगरी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को मानकमऊ से ग्राम रूपडी से पहले रजवाहे पुलिया पर गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 24 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त इनाम उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 111/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त इनाम उपरोक्त ने बताया कि मैं सस्ते दामों में शराब की बोतल खरीद कर आस-पास व राह चलते लोगो को अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इनाम पुत्र जफर निवासी ग्राम इगरी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त इनाम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 128/2016 धारा 323, 354(ख), 504 भादवि0 थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
- 2-मु0अ0सं0 150/16 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
- 3-मु0अ0सं0 231/21 धारा 323, 354, 354(क), 452, 504 भादवि0 व 3(1)(घ), 3(1)(द) sc/st act थाना कुतुबशेर, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 24 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का (Malta (माल्टा))।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 2262 मानवेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. का0 2175 गोपाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 22 ग्राम अवैध स्मैक बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध मादक पदार्थ एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 07.04.2024 को अभियुक्त वक्कार पुत्र सत्तार निवासी ग्राम सलीरी थाना चिलकाना सहारनपुर को चैकिंग के दौरान जंगल ग्राम सलीरी शमशाद घाट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 22 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0- 83/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वक्कार पुत्र सत्तार निवासी ग्राम सलीरी थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0- 514/19 धारा – 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 391/20 धारा—60/63 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0—279/21 धारा—8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
4. मु0अ0सं0—83/2024 धारा— 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0—392/20 धारा—188 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

22 ग्राम स्मैक नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 1870 पुनित यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. का0 2056 शुभम सिरोही थाना चिलकाना सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.04.2024 को वारण्टी अभियुक्त **इमरान पुत्र बशीर कुरैशी निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** वाद संख्या- 9499/2023 धारा- 3/5/8 सीएस एक्ट श्रीमान मा० न्यायालय न्यायाधिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर को अभियुक्त के मस्कन ग्राम दुमझेडा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इमरान पुत्र बशीर कुरैशी निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं०—140/2013 धारा-- 147, 323, 363, 366(A), 504, 506 भादवि थाना चिलकाना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

- उ०नि० विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- का० 2361 जितेन्द्र सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 220 ग्राम

चरस व 01 नाजायज छुरा बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु नशा तस्करी/अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.04.2024 को गश्त/चैकिंग के दौरान अभियुक्त फरमान उर्फ नन्हा कटारे पुत्र नफीस निवासी 62 फुटा जोगीयो वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को नसीर कालौनी के पास कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 220 ग्राम नाजायज चरस व एक नाजायज छुरा बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त फरमान उर्फ नन्हा कटारे उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 115/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त फरमान उर्फ नन्हा कटारे उपरोक्त ने बताया कि मैं चरस को बाहर से सस्ते दामों पर लाकर आस-पास व राह चलते लोगो को अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है तथा छुरा मैं अपनी सुरक्षा के लिये और लोगो को डराने धमकाने के लिए रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फरमान उर्फ नन्हा कटारे पुत्र नफीस निवासी 62 फुटा जोगीयो वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0स0 160/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

2-मु0अ0स0 276/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 220 ग्राम नाजायज चरस

➤ 01 नाजायज छुरा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

3. है0का0 840 अनुज आर्य थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

4. का0 1215 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व
01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु नशा तस्करी/अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबंद के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 07.04.24 को अभियुक्त ऋषिपाल उर्फ पप्पू पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम भायला खुर्द थाना देवबन्द सहारनपुर को 01 नाजायज तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ रविदास मंदिर के पास भायला खुर्द से गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0स0-163/23 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 पंजीकृत किया गया अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता:-

ऋषिपाल उर्फ पप्पू पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम भायला खुर्द थाना देवबन्द सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 नाजायज तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम –

- 1- उ0नि0 के0पी0 सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
- 2- है0का0 931 परविन्द्र थाना देवबन्द सहारनपुर
- 3- है0का0 22 विनोद कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से
15 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं नशा तस्करी आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त साबिर पुत्र शहजाद निवासी इरशाद कालौनी लाल मस्जिद थाना कु0शेर जनपद सहारनपुर को कच्चे 62 फुटा की तरफ भट्टे वाले चौक के पास खाली पडे खेत से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 15 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त साबिर उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 113/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त साबिर उपरोक्त ने बताया कि मैं सस्ते दामों में शराब की बोतल खरीद कर आस-पास व राह चलते लोगो को अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

साबिर पुत्र शहजाद निवासी इरशाद कालौनी लाल मस्जिद थाना कु0शेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 10/24 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 102/23 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना कोतवाली मण्डी

बरामदगी का विवरण:-

- 15 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सचिन पुनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 388 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. का0 2478 पवन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर महिला अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं नशा तस्करी आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बडगाँव श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगाँव पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 06.04.2024 को एक महिला अभियुक्ता **चाँदनी पत्नी अंकित निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगाँव जिला सहारनपुर** को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 80/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता

चाँदनी पत्नी अंकित निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

➤ 20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

- 1- उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 2- हे0कां0 544 राहुल कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 3- म0कां0 775 आकांक्षा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 4- म0कां0 748 कंचन थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 11 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं नशा तस्करी आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सुलेमान पुत्र सलीम निवासी किराये का मकान फैजान मसाला चक्की वालों का फैसल टाउन खाताखेड़ी थाना मंडी सहारनपुर उम्र -45 वर्ष को परवेज की आरामशीन के ठीक सामने से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 11 बोतल अवैध देशी शराब मालटा हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0 149/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुलेमान पुत्र सलीम निवासी किराये का मकान फैजान मसाला चक्की वालों का ,फैसल टाउन ,खाताखेड़ी थाना मंडी

बरामदगी का विवरण –

➤ 11 बोतल अवैध देशी शराब मालटा हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
2. है0का0 477 विनोद कुमार कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 06 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं नशा तस्करी आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अहकाम पुत्र गुलफाम निवासी रहमानी चौक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को सिंबल के पेड से करीब 30 कदम की दूरी पर ग्राम शाहपुर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 06 बोतल अवैध देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0 148/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अहकाम पुत्र गुलफाम निवासी रहमानी चौक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

➤ 06 बोतल अवैध देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
2. है0कां0 736 दीपक नागर कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 11 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं नशा तस्करी आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त ललित पुत्र सोमप्रकाश निवासी श्यामपुरी थाना मंडी सहारनपुर को फुलवारी आश्रम से बाबा लाल दास मंदिर की तरफ लगभग 30-35 कदम की दूरी से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 11 बोतल अवैध देशी शराब मालटा हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0 151/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

ललित पुत्र सोमप्रकाश निवासी श्यामपुरी थाना मंडी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

➤ 11 बोतल अवैध देशी शराब मालटा हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उप0 नि0 नरेंद्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
2. है0 का0 459 पवन कुमार कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से
236 ग्राम नाजायज चरस बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.04.2024 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा गश्त के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त सोनू उर्फ मुस्तफा पुत्र अब्दुल रहीम निवासी नूर बस्ती गैंस गौदाम वाली गली थाना कोतवाली नगर सहारनपुर हाल मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को नन्दपुरी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 236 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सोनू उर्फ मुस्तफा उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 114/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त सोनू उर्फ मुस्तफा उपरोक्त ने बताया कि मैं चरस को सस्ते दाम में खरीदकर आस-पास के क्षेत्रों में अधिक दाम में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज जब मैं स्मैक बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सोनू उर्फ मुस्तफा पुत्र अब्दुल रहीम निवासी नूर बस्ती गैंस गौदाम वाली गली थाना कोतवाली नगर सहारनपुर हाल मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सोनू उर्फ मुस्तफा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 446/20 धारा 398/401 भादवि थाना कुतुबशेर
- 2- मु0अ0सं0 447/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 236 ग्राम नाजायज चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 272 सन्दीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 2411 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 07.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 150 ग्राम चरस नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त गुड्डू पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम मरोडगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को पीपल वाली मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 150 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मण्डी पर मु0अ0सं0150/24 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ मैं चरस सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ आज जब मैं चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गुड्डू पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम मरोडगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

➤ 150 ग्राम चरस नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र, , थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 477 विनोद कुमार कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. कां0 978 विपिन कुमार कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1600 मनोज कुमार कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07-04-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैनामा कराते समय 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाम बदलकर फर्जी आधार कार्ड पैनकार्ड बनवाकर फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार करके वादी श्री हरिओम पुत्र गुलजारी लाल निवासी ग्राम सातपुर जनपद सम्भल की जसमौर स्थित खेती की जमीन खसरा नं0- 138 म0 रकबई 18 बीघा वाके जंगल ग्राम जसमौर परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर स्थित जमीन का बैनामा रवीश सैनी पुत्र प्रेमचन्द निवासी-जी-63 पी 4 सीनियर सिटीजन होम कॉम्पलेक्स कासना गौतमबुद्धनगर को कराते समय पुलिस द्वारा तहसील बेहट से अभियुक्तगण **1. जुल्फान पुत्र छोटा निवासी ग्राम मिरगपुर पाँजूवाला थाना बेहट व 2. शहबान पुत्र बुद्धू नि0 मिरगपुर पाँजूवाला थाना बेहट सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया अभियुक्तगण के कब्जे से एक फर्जी कूटरचित बैनामा व एक कूटरचित आधार कार्ड व पैन कार्ड की छायाप्रति बरामद हुई जिस पर नाम हरिओम सिंह उपरोक्त व फोटो जुल्फान का लगा है आदि बरामद हुए जिनके आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 124/24 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम दोनो ने जसमौर मे स्थित जमीन के मालिक का पता लगाया जिसका नाम हरिओम पुत्र गुलजारी लाल निवासी ग्राम सातपुर जिला सम्भल है जो बाहर ही रहता है इसी लिए हम दोनो ने तहसील मे एक वकील के मुन्शी के साथ मिलकर हरिओम के नाम के फर्जी आधार कार्ड व पैनकार्ड बनवाये तथा रवीश सैनी जो प्रापर्टी डीलर है से 70000 रू0 बीघा के हिसाब से तय कर लिया था जिसका बैनामा कराने के लिए तहसील आये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

1. जुल्फान पुत्र छोटा निवासी ग्राम मिरगपुर पाँजूवाला थाना बेहट सहारनपुर।
2. शहबान पुत्र बुद्धू नि0 मिरगपुर पाँजूवाला थाना बेहट सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पार्टी का नाम:-

1. आमीर हसनैन पुत्र नायाब हसन निवासी मैमन सादात थाना किरतपुर जिला बिजनौर
2. मोहित राणा पुत्र विशनपाल सिंह निवासी ग्राम बडकली थाना दौराला जिला मेरठ